न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(प्रथम)जयपुर शहर जयपुर

वाद संख्या :– 70 / 2017

पीठासीन अधिकारी – युगांतर शर्मा

ग्राम पंचायत धानक्या जरिये हाल सरपंच पंचायत समिति झोटवाड़ा तहसील व जिला जयपुर।

------ प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर,तहसील जयपुर जिला जयपुर।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये सचिव कार्यालय रामकिशोर व्यास भवन जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर।

प्रार्थना –पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय **दिनांक 21.06.2019**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना – पत्र का सार संक्षेप इस प्रकार है कि यह है कि खसरा नम्बर 31 / 154, सामालाति नम्बर 51,52,54 की तरमीम राजस्व नक्शे में हो रही है। जो कि उक्त तरमीम राजस्व नक्शे में मौके के विपरीत गलत स्थान पर हो रखी है ओर मोके के अनुसार तरमीम किया जाना आवश्यक है। यह है कि राजस्व नक्शे के अनुसार में अनुसार में वर्तमान में अंकित खसरा नम्बर 31 / 154, सामालित नम्बर 51,52,54 गैर मु0 शमशान मौके पर वर्तमान नक्शे के अनुसार नही है जबकि खसरा नम्बर 31 / 154 सामलाति नम्बर 51,52,,,54 की पूर्वी सीमा पर शमशान स्थित है जॅहा पर ही दाह संस्कार किये जा रहे है। यह है कि खसरा नम्बर 31 / 154, सामलाति नम्बर 51,52,54 की भूमि मौके पर स्थित गैर मु0 शमशान की वर्तमान मौके के अनुसार तरमीम कर दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। जिसके संबंध में प्रार्थनापत्र के साथ नजरी नक्शा संलग्न किया जा रहा है जो प्रार्थनापत्र का अभिन्न अंग रहेगा। यह है कि आराजी खसरा नम्बर 31 / 154, सामालाति नम्बर 51,52,54 रकबा 3 बीघा किस्म गैर मु0 शमशान की भूमि होने के कारण ग्राम पंचायत को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का हक अधिकार व क्षेत्राधिकार है।

यह है कि राजस्व ग्राम पंचायत नंदगाव पंचायत समिति धानक्या भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र मुण्डियारामसर तहसील जयपुर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 31 / 154 सामलाति नम्बर 51,52,54 की तरमीम वर्तमान कब्जा शमशान की स्थिति के अनुसार नही की गई है जो गलत है तथा वर्तमान में की गई तरमीम को दुरूस्त कर वास्तविक शमशान जहॉ स्थित है नक्शा में तरमीम की जावें। अप्रार्थीगण 01 की और से पेश जवाब अन्तर्गत रिपोर्ट पेश की गयी जिसके अनुसार प्रकरण मुताबिक [illegible] जमाबंदी [illegible] गांव सम्वत् 2073–76 के ख0न0 31 / 154 शा.नं. 51,52,54 रकबा 3 बीघा [illegible] मुमकिन शमशान जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज रेकार्ड है। [illegible] 31 / 154 [illegible] 51,52,54 रकबा 3 बीघा गैर मुमकिन शमशान की तरमीम राजस्व नक्शे – [illegible] के विपरीत गलत स्थान पर हो रखी है जो मौके के अनुसार तैयार किये हुए नक्शा (प्रस्तावित) के अनुसार किये जानें हेतु [illegible] है तथा मौके के अनुसार गै0मु0 शमशान की तरमीम न[illegible] में दुरूस्त किये जाने हेतु [illegible] किया गया है।

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम) जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Yudantar
Date: 2021.01.05 17:48:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

तहसीलदार जयपुर द्वारा दिनांक 21.6.19 को प्रेषित रिपोर्ट अनुसार अंकित किया गया है कि ग्राम नन्दगाव में स्थित ख0न0 31/15 शा.नं0 51, 52, 54 कुल रकबा 3 बीघा में जहा तरमीम हुई है वह भूमि खाली पडी हुई है तथा यह शमशान के काम में नही आ रही है तथा प्रस्तावित तरमीम भूमि शमशान के उपयोग मं आ रही है जहा पर दाह संस्कार किया जा रहा है। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि ग्राम पंचायत धानक्या ने रा0भू0रा0अधि0 1956 की धारा 136 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया की जमाबंदी सवत् 2073 से 2076 ग्राम नन्दगांव आराजी खसरा स0 31/154 सामालाति न0 51,52,54 कुल रकबा 3 बिस्वा किस्म गै.मु. शमशान दर्ज रिकार्ड है परंतु राजस्व नक्शे में उक्त आराजी खसरा संख्या को तरमीम मौका अनुसार नही करके , गलत तरमीम कर दी गई है। जिसे दुरूस्त करवाया जावें। प्रार्थना दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार जयपुर द्वारा यह जबाब रिपोर्ट प्रेषित करते करते हुए यह तथ्य स्वीकार किया की आराजी ख0 न0 31/154 51,52,54 रकबा 3 बीघा गै.मु. शमशान की तरमीम मौका अनुसार नही है। साथ ही उनके द्वारा प्रस्तावित तरमीमी नक्शा प्रस्तुत किया गया । अप्रार्थी सं0 2 द्वारा जबाब प्रस्तुत करते हुए तरमीम संबंधी कार्य उनसे संबंधित या उनके द्वारा नही किये जाना उल्लेखित करते हुए प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का कथन किया।

बहस उभय पक्ष सुनकर एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया की ग्राम नन्दगॉव के आराजी ख0 सं0 31/154 सामालाति न0 51,52,54 रकबा 3 बीघा किस्म गैर मु0 शमशान को वर्तमान राजस्व नक्शें में तरमीम मौका अनुसार है एवं गै.मु. शमशान मौके पर जिस स्थान पर उपयोग में आ रहा है वो काफी वर्षो से इस प्रकार उपयोग में लिया जा रहा है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव तरमीम स्वीकार की जाती है। एवं तहसीलदार को प्रस्तावित नक्शे अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे में तरमीम करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज न0 से कम हो निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर प्रथम जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.01.05 17:48:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner